

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2025 (पौष 27, 1946)

माननीय श्री कवासी लखमा, सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना.

सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर की ओर से यह सूचना दी गई है कि—

दिनांक 15 जनवरी, 2025 को छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में भूमिका के लिये जांच के दौरान ACB/EOW, छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय श्री कवासी लखमा, सदस्य (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 90, कोन्टा) की अपराध में लिप्तता एवं सक्रियता के साक्ष्य प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 15.01.2025 को गिरफ्तार कर 6 दिवस हेतु दिनांक 21.01.2025 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में दिया गया है।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा